

ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, 177001

के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025

भाग-1

1. प्रस्तावना:-

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत बल्ह, में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री प्रताप चंद	01.04.2024 से 31.03.2025

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमति लता देवी	01.04.2024 से 07.03.2025
2	श्री मोहिंदर सिंह	08.03.2025 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.24 से 31.03.25 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.4	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अंतशेष में अंतर का समाधान न करना	0.38

2	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	12.26
3	7.1	पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष	0.16
4	8.1	आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान करना	7.01
5	8.2	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.12
6	9.1	पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.06
7	9.2	मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु जारी सामग्री के उचित लेखांकन के अभाव में राशि का अनियमित/अधिक भुगतान करना	0.20
8	9.3	व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.34

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के संदर्भ में अधियाचना संख्या 161/2025 दिनांक 22.07.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला द्वारा ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर का अंकेक्षण है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/17 से 3/19

1	पैरा-10	अनिर्णीत
2	पैरा-11	अनिर्णीत
3	पैरा-12	अनिर्णीत
4	पैरा-14	अनिर्णीत
5	पैरा-16 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा-17	अनिर्णीत
7	पैरा-18	अनिर्णीत
8	पैरा-22	अनिर्णीत

9	पैरा-24	अनिर्णीत
10	पैरा-25	अनिर्णीत

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22.07.2025 से 26.07.2025 तक ग्राम पंचायत बल्ह के कार्यालय में किया गया। आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की अधिकतम आय तथा पंचायत के अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	03/2025	06/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000/-** (15वें वित्तायोग के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के ऑनलाईन ऑडिट के अंकेक्षण शुल्क सहित) आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चेक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 163/2025 दिनांक 26/07/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित, हमीरपुर के **DD NO - KAA 403618 दिनांक 13.08.2025**, द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया है।

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत बल्ह द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या 161/2025 दिनांक 22.07.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत की अवधि 01/04/24 से 31/03/25 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **सलग्न परिशिष्ट-1** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण

अवधि दौरान (3) ऑनलाइन रोकड़ बहियों अर्थात स्वः स्त्रोत व अनुदान, 15वें वित्तायोग व मनरेगा शीर्ष का रख-रखाव किया गया था।

(1) (क) स्वः स्त्रोत व अनुदान:-

ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक की स्वः स्त्रोत व अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2024-25	1638721.70	882745.00	2521466.70	1295183.00	1226283.70

(ख) 15वें वित्तायोग:-

ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के 15वें वित्तायोग की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2024-25	1687849.00	1025449.00	2713298.00	693976.00	2019322.00

(ग) संकलित वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

निधि	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
स्वः स्त्रोत व अनुदान	2024-25	1638721.70	882745.00	2521466.70	1295183.00	1226283.70
15वां वित्तायोग शीर्ष	2024-25	1687849.00	1025449.00	2713298.00	693976.00	2019322.00
मनरेगा	2024-25	0.00	1622557.50	1622557.50	1622557.50	0.00
संकलित वित्तीय स्थिति	2024-25	3326570.70	3530751.50	6857322.20	3611716.50	3245605.70

(2) दिनांक 31.03.25 को ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के बैंक शेषों के अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान	कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित हमीरपुर	20005028818	580959.60
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान	कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित हमीरपुर	20005087319	438896.00
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान	इंडस इंड बैंक हमीरपुर	100167373044	230579.00
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान	एच डी एफ सी बैंक हमीरपुर	50100157142780	464.30
5	15 वें वितायोग	एच डी एफ सी बैंक हमीरपुर	50100356259641	2033106.00
कुल योग				3284004.90

(3) दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार :-

दिनांक 31.03.2025 को वित्तीय स्थिति का अंत शेष			
1	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बही का अंतिम शेष		3245605.70
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतशेष		3284004.90
3	दिनांक 31.03.2025 को हस्तगत राशि		96.00
	योग (2+3)		3284100.90
अन्तर (4-1)			38495.20
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी			
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष		1226283.70
2	15वें वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष		2019322.00
3	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का कुल अंतिम शेष		3245605.70
4	दिनांक 31.03.2025 को असमायोजित राशि (जमा) (+) (हस्तगत राशि)		38495.20
5	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का शुद्ध अंतिम शेष		3284100.90
6	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष		3284100.90
अंतर			0.00

नोट:- 15वें वित्तयोग के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक का अंकेक्षण, ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल (auditonline.gov.in) के माध्यम से किया जा चुका है तथा इससे संबंधित अंकेक्षण आपत्तियाँ भी पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है।

(4) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अंतःशेष में ₹0.38 लाख के अंतर का समाधान न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान नहीं किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.03.2025 को सलग्न **परिशिष्ट-1.3** अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अंतिम शेष में **राशि ₹38495.20** का अंतर पाया गया, जोकि पंचायत की सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाता है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 162/2025 दिनांक 25/07/2025 के प्रत्युत्तर में उक्त अंतर की राशि बारे सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र संख्या 06/2025 दिनांक 26/07/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही का बैंक खातों से राशि के अंतर का पता लगाकर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा"।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार अंतर के कारणों की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए तदनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(5) स्वः स्त्रोत निधि के लिए अलग से खाते का संचालन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के (स्वः स्त्रोत के लेन देन हेतु) स्वः स्त्रोत खाता (क) खोला जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित स्वः स्त्रोत निधि की रोकड़ बही व बैंक खाते में कार्यालय व्यय व पंचायत के पदाधिकारियों के वेतन राशि के लेन-देन की प्रविष्टियाँ भी होने के कारण यह पूर्ण रूप से स्वः स्त्रोत निधि (क) को नहीं दर्शाती है, जिसके संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 162/2025 दिनांक 25/07/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को स्वः स्त्रोत निधि की रोकड़ बही व बैंक खाते को अलग से संधारित न करने बारे अवगत करवाया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर संख्या 06/2025 दिनांक 26/07/2025 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया कि स्वः स्त्रोत (क) की रोकड़ बही को पूर्ण रूप से अलग करके संधारित कर लिया जाएगा।

अतः विभिन्न अनुदानों के सम्मिलित होने के कारण पंचायत की स्वः स्त्रोत (क) की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका तथा भविष्य में स्वः स्त्रोत की रोकड़ बही व बैंक खाते में केवल स्वः स्त्रोत निधि की आय व व्यय (अनुदानों के अतिरिक्त) का लेन देन करना ही ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

5. सावधिक निवेश :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास पंचायत निधि (स्वः स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 162/2025 दिनांक 25/07/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर पत्र संख्या 06/2025 दिनांक 26/07/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश शून्य है।

अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वः स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव करके, स्वः स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹12.26 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

“हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है”।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 162/2025 दिनांक 25/07/2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि परिशिष्ट-1 पर सलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान व स्वः स्त्रोत में प्राप्त राशियों में से राशि ₹1226283.70 उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है

कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा पूर्व निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 162/2025 दिनांक 25/07/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 06/2025 दिनांक 26/07/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न कर पाने के तथ्यपूर्ण कारणों को स्पष्ट करते हुए नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं तदनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

“हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान, व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है”।

अंकेक्षण के दौरान प्राप्त विभिन्न अनुदानों के व्यय सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए, फलस्वरूप अंकेक्षणावधि में कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 162/2025 दिनांक 25/07/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 06/2025 दिनांक 26/07/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत तथ्यों तथा आंकड़ों सहित नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही/अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति अंकेक्षणार्थ उपलब्ध न करवाना :-

“हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान, व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार सचिव, ग्राम पंचायत अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है तथा सचिव, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० शिमला-9 के पत्र संख्या पीसीएच -एच ए (5)सी (15)313/89-4614 -4787 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी व अन्य स्वीकृति एजेन्सी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवाएंगी ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित किया जा सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है”। किन्तु अंकेक्षण के दौरान अनुदान

आदेश/स्वीकृति पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए। फलस्वरूप उक्त नियम व निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न हो सकी।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 162/2025 दिनांक 25/07/2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 06/2025 दिनांक 26/07/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं प्राप्त अनुदान राशि सम्बन्धित स्कीम पर खर्च की गई थी अथवा नहीं।

अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में तथ्यों एवं आंकड़ों युक्त सारणी रूप में वस्तुस्थिति प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर राशि ₹0.16 लाख वसूली हेतु शेष:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, वजट) नियम 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या 162/2025 दिनांक 25/07/2025 के प्रतिउत्तर में संलग्न **परिशिष्ट-2** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन व अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत का गृहकर/सम्पत्तिकर राशि **₹16000.00** वसूली हेतु शेष थी।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान गृहकर की राशि की वसूली न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस राशि की शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना राशि ₹7.01 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

“हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी

या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा"।

अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के समर्थन में उक्त फार्म सलग्न नहीं थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट-3** अनुसार राशि **₹700690.30** का अनियमित भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 162/2025 दिनांक 25.07.2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 06/2025 दिनांक 26.07.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है।

अतः उक्त राशि के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी. एस. टी. टी. डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.12 लाख का अधिक भुगतान करना :-

"हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. +1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार

को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय करके इसे अगले माह की 10 तारीख तक सम्बन्धित विभाग के निर्धारित खाते में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति सलग्र **परिशिष्ट-4** अनुसार राशि ₹582449.69 (जी.एस.टी. को छोड़कर) का भुगतान किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **राशि ₹11648.99** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 162/2025 दिनांक 25.07.2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 06/2025 दिनांक 26.07.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार बनती जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9.1 पत्थरों की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान करना:-

हिमाचल प्रदेश निर्माण विभाग के अध्याय-2 में उल्लेखित वर्कस स्पेसिफिकेशन पैरा 2.1.2.13 के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम.एम. से लेकर 20 एम.एम. तक 5% व 25 एम.एम. से लेकर 40 एम.एम. तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम.एम. से लेकर 75 एम.एम. तक 12.5% की दर से रिक्तियों (Voids) की कटौती उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पत्थरों (stones) की खरीद हेतु सलग्र **परिशिष्ट-5** अनुसार राशि ₹47800.00 का कुल भुगतान किया गया था, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियां (Voids) की कटौती न करने के कारण **राशि ₹5975.00** का अधिक भुगतान किया गया था।

ग्राम पंचायत द्वारा अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या 162/2025 दिनांक 25.07.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 06/2025 दिनांक 26.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में वर्णित पत्थर (stone) की खरीद

पर रिक्तियों (voids) की कटौती नहीं की गई है, लेकिन इसके भुगतान की वसूली करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के फलस्वरूप की गई अधिक भुगतान राशि के जमा व इन्द्राज सम्बन्धी अभिलेख से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से निर्माण कार्यों से सम्बन्धित समस्त अभिलेख की नियमानुसार सक्षम तकनीकी अधिकारियों की नमूना जांच एवं सत्यापन उपरान्त ही भुगतान करना सुनिश्चित करें।

9.2 मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु जारी सामग्री के उचित लेखांकन के अभाव में राशि ₹0.20 लाख का अनियमित/अधिक भुगतान करना:-

“हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 व 76 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के प्रधान और सम्बद्ध सचिव द्वारा निधि से व्यय उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता के साथ अनुपालन करेंगे तथा संबद्ध पंचायत सचिव किसी भी अति संदाय / अधिक भुगतान की वसूली करने हेतु उत्तरदायी होगा।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 हेतु चयनित माह 06/2024 हेतु व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि सलग्र **परिशिष्ट-6** अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा **राशि ₹20063.00 का रेत**, के रूप में माप पुस्तिका में दर्ज कुल मात्रा से अधिक मात्रा का वाउचरों में उपयोग दर्शाकर/सामग्री दुर्विनियोजन कर अनियमित भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 162/2025 दिनांक 25.07.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 06/2025 दिनांक 25.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की वसूली करके अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत किये गए अनियमित/अधिक भुगतान की वसूली संबंधित से करके अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों की नियमानुसार नमूना जांच एवं सत्यापन उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जानी भी सुनिश्चित की जाए।

9.3 राशि ₹34 लाख के व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को वांछित सुसंगत अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मास 06/2024 के व्यय के समर्थन में सलग्न **परिशिष्ट-7** अनुसार कार्यो हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत राशि **₹34,00,000.00** का भुगतान किया गया था, जिसके सन्दर्भ में अध्याचना संख्या 162/2025 दिनांक 25.07.2025 द्वारा सत्यापना हेतु अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। सचिव द्वारा पत्र संख्या 06/2025 दिनांक 26/07/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त पत्र में वर्णित माप पुस्तिकाओं को अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी।

अतः अंकेक्षण के दौरान अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत न कर पाने के कारणों से अवगत करवाते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) की अनुपालना सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाए।

10 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख / रजिस्ट्रों का संधारण करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न अभिलेख/रजिस्ट्रों का रख रखाव नहीं किया गया था, इस प्रकार लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के रिसन (leakage) दुर्विनियोजन अथवा दुरुपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002			
क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	प्रारूप संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33
3	बजट प्राकलन रजिस्टर	11	37
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
6	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो से सम्बंधित अभिलेख का रजिस्टर	30	89
7	निर्माण कार्यो की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
8	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)

9	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल संपत्ति रजिस्टर	11	34

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 161/2025 दिनांक 22/07/2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में, सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 06/2025 दिनांक 26.07.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्ट्रों को तैयार करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्ट्रों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल के तहत खरीदी गई सामग्री की तिथि विशेष को भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 161/2025 दिनांक 22/07/2025 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 06/2025 दिनांक 26.07.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापित करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गए स्टोर / स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता।

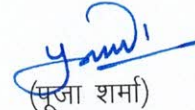
अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

- 12 लघु आपत्ति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है अपितु समय-2 पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं/नियम प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुये छोटी -2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।
- 13 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार और ठोस कदम उठाने की नितान्त आवश्यकता है।

25 NOV 2025

का०/५लि

7229-7233



(पूजा शर्मा)

सहायक निदेशक

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग

शिमला-171009

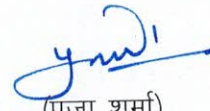
दूरभाष 0177-2620046

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(6)80/2019 खण्ड-1 दिनांक शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि०प्र०।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि०प्र०।
- पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि०प्र० को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

का०/५लि



(पूजा शर्मा)

सहायक निदेशक

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग

शिमला-171009

ANNEXURE

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या "4" में संदर्भित						
ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश						
दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3326570.70	3530751.50	6857322.20	3611716.50	3245605.70

Secretary
Gram Panchayat Balh
Dev. Block & Distt. Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट '1.1' पैरा संख्या '4' में सदर्जित

ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177001

वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1. स्वयं स्रोत व अनुदान, 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) ऑनलाइन की वित्तीय स्थिति:-

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3326570.70	1908194.00	5234764.70	1989159.00	3245605.70

1(i) स्वयं स्रोत व अनुदान (समेकित) ऑनलाइन की वित्तीय स्थिति (15वां वित्तायोग रहित)

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1638721.70	882745.00	2521466.70	1295183.00	1226283.70

1 (ii) 15वां वित्तायोग ऑनलाइन की वित्तीय स्थिति:-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1687849.00	1025449.00	2713298.00	693976.00	2019322.00

2. मनरेगा ऑनलाइन की वित्तीय स्थिति:-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0.00	1622557.50	1622557.50	1622557.50	0.00


Secretary
Gram Panchayat Balh
Dev. Block & Distt. Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट 1.2 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बल्लू, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

दिनांक 31.03.25 को बैंक का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान	कंगडा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित हमीरपुर	20005028818	580959.60
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान	कंगडा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित हमीरपुर	20005087319	438896.00
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान	इंडस इंड बैंक हमीरपुर	100167373044	230579.00
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान	एच डी एफ सी बैंक हमीरपुर	50100157142780	464.30
5	15 वें वित्तियोग	एच डी एफ सी बैंक हमीरपुर	50100356259641	2033106.00
कुल योग				3284004.90


Panchayat Secretary
Gram Panchayat Ballu
Block Hamirpur H.P.



परिशिष्ट 1.5 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बलह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश,

दिनांक 31.03.2025 को वित्तीय स्थिति का अंत शेष

1	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष		3245605.70
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	3284004.90	3284100.90
3	दिनांक 31.03.2025 को हस्तागत राशि	96.00	38495.20
अन्तर			

दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी

	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समीकेत) की रोकड़ बहों का दिनांक	1226283.70
1	31.03.2025 को अंतिम शेष	
	15वें वित्तियोग की रोकड़ बहों का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम	2019322.00
2	शेष	3245605.70
3	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का कुल अंतिम शेष	38399.20
4	दिनांक 31.03.2025 को असमायोजित राशि (जमा)	3284004.90
5	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का शुद्ध अंतिम शेष	3284004.90
6	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	0.00
अंतर		

Secretary
Gram Panchayat Balh
Dev. Block & Distt. Hamirpur (H.P.)

1

2

3

4

परिशिष्ट 2 पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

(01.04.2024 से 31.03.2025)

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक गृह कर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2024-2025	55800.00	559	100	55900.00	111700.00	95700.00	16000.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat... Balth
Block... Hamirpur H.P.

27

परिशिष्ट 3 पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना भुगतान करना
(01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	शीर्ष	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामान	मात्रा	राशि (₹)
1	MNREGA	C/o Land Levelling / Protection Wall near the H/o Jagdeep Chand S/o Milkhi Ram Vill. Bhater	421	Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Agg.	11.32	15848
				Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Sand	5.66	8773
2	MNREGA	C/o Land Levelling/Protection Wall near the H/o Lal Chand S/o Shakti Chand Vill. Mohin	602	Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Agg.	4.65	6510
				Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Sand	2.8	4340
3	MNREGA	C/o S/ marg Desh Raj Land To Shamshan Ghat Tak Vill. Balh	180	Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	stone	16.36	21268
				Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	sand	21.34	33077
				Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Agg.	33	46200
				Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Agg.	33.74	47236
4	MNREGA	C/o S/ Marg Chamel Singh h/o to Odd / Nala Tak Vill. Balh	194	Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Agg.	22.64	31696
				Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Sand	16.98	26319
5	MNREGA	C/o Children Park GMS Balh Vill. Balh (15th fan.)	152	Sandhya Devi W/o Baldev Chand Vill. Anu Kalan the. Distt. Hamirpur	Agg.	28.3	27705.7
				Vinay Trading Company	Sand	36	42432
6	MNREGA	C/o Cattle Shed in the land of Chamel Singh S/o JAI Ram Vill. Balh	116	Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Agg.	2.4	3336
				Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Sand	2.4	3600
7	MNREGA	C/o Land Levelling /Protection Wall Near the H/o Rajesh kumar S/o Dharma Singh Vill. Maniayana	133	Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Agg.	11.32	15734.8
				Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Sand	11.32	16980
8	MNREGA	C/o Land Levelling /Protection Wall Near the H/o Surender Kumar S/o Prem Chand Vill. Bhater	118	Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Agg.	11.32	15734.8
				Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Sand	11.32	16980
9	MNREGA	C/o Protection Wall near the h/o Rajender singh S/o Dharm Singh Vill. Balh	134	Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Agg.	12	16680
				Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Sand	12	18000
10	GIA PLANNING	C/o CSC Balh	406	Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Agg.	8.8	12320
				Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	sand	6.7	10385
11	GIA PLANNING	C/o Pakka Rasta Guga Mandir to Kartar Chand H/o vill. Balh	120	Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	sand	3.12	4680
				Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Stone	9.63	12037
12	GIA PLANNING	Add. Amount for C/o S/Marg & Pulli Odda Nala Bharm Dass Vill. Balh	420	Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Agg.	14.44	20216
				Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	sand	15.58	24149
				Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Stone	2.4	3120
13	GIA PLANNING	C/o Drain For Waste Water Om Parkash H/o Vill. Mohin	126	Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Agg.	2.4	3336
				Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	agg	4.5	6255
				Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Sand	2	3000
14	GIA PLANNING	C/o Pakka Rasta & S/ Marg Pipal Tree to Chamel Singh H/o Tak Vill. Balh	135	Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Agg.	14.5	20155
				Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Sand	5	7500
15	GIA PLANNING	C/o S/ MARG & Rasta YUDHVIR Singh Shop to Danoh	408	Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Agg.	12.2	10080
				Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Sand	12.2	18910

Secretary
Gram Panchayat Balh
Dev. Block & Distt. Hamirpur (H.P.)

				Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Stone	8.75	11375
16	GIA PLANNING	C/o Bouri Gourdi Vill. Balh	412	Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Sand	9.91	15360
				Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Agg.	17.31	24234
17	GIA PLANNING	C/o Drian for Weast Water Surrender H/o to Hadhli Khad Vill. Mohin	127	Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Agg.	4.53	6296
				Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Sand	4.53	6795
18	GIA PLANNING	C/o S/ marg Jai Chand Land to Pardep H/o Vill. Balh	210	Vinay Trading Company Vill. Kalar P.O Bhida	sand	11.33	14139
19	GIA PLANNING	C/o S/ Marg & Pulli Odda Nala towards Bharm Dass H/o Vill. Balh	209	Vinay Trading Company Vill. Kalar P.O Bhida	Sand	11.33	14139
20	GIA PLANNING	C/o Upper Story MM Bhawan Vil. Balh	291	Vinay Trading Company Vill. Kalar P.O Bhida	Sand	4.8	5976
21	GIA PLANNING	C/o S/ Marg & Pulli Odda Nala towards Bharm Dass H/o Vill. Balh	150	Sandhya Devi W/o Baldev Chand Vill. Anu Kalan the. Distt. Hamirpur	Agg.	11.33	11092
22	GIA PLANNING	C/o S/ marg Jai Chand Land to Pardep H/o Vill. Balh	148	Sandhya Devi W/o Baldev Chand Vill. Anu Kalan the. Distt. Hamirpur	Agg.	3.96	376
23	GIA PLANNING	C/o Pakka Rasta Guga Mandir to Kartar Chand H/o vill. Balh	153	Sandhya Devi W/o Baldev Chand Vill. Anu Kalan the. Distt. Hamirpur	Agg.	5.94	5815
Total							700690.30


 Secretary
 Gram Panchayat Balh
 Dev. Block & Distt. Hamirpur (H.P.)

22

परिशिष्ट

4

पैरा संख्या

8.2

में संदर्भित

ग्राम पंचायत बल्लह, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

(जी.एस.टी.डी.एस.) की वसूली न करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01-04-2024 to 31-03-2025	Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Agg,Sand,Boulder	582449.69	11648.99
Total				582449.69	11648.99

Secretary
Gram Panchayat Balh
Dev Block & Distt. Hamirpur (H.P.)

23

24

परिशिष्ट 5 पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित								
ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर								
पत्थर की खरीद पर रिक्तियों (voids) की कटौती न करना (कटौती दर 12.5%)								
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	फार्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा वर्ग मीटर	कुल भुगतान (₹)	रिक्तियां (Voids) (₹)
1	MNREGA	C/o Land Levelling/Protection Wall near the H/o Lal Chand S/o Shakti Chand Vill. Mohin	602	Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Boulder	16.36	21268	2658.50
2	MNREGA	C/o Pakka Rasta Guga Mandir to Kartar Chand H/o vill. Balh	120	Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Boulder	9.63	12037	1504.63
3	GIA PLANNING	Add. Amount for C/o S/Marg & Pulli Odda Nala Bharm Dass Vill. Balh	420	Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Boulder	2.4	3120	390.00
4	GIA PLANNING	C/o S/ MARG YUDHVIR Singh Shop to Danoh	408	Surinder Enterprises 434/1 OPP.P.G. College Anu Distt. Hamirpur	Boulder	8.75	11375	1421.88
Total							47800	5975.00


 Secretary
 Gram Panchayat Balh
 Dev. Block & Distt. Hamirpur (H.P.)

24

परिशिष्ट 6 पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित				
ग्राम पंचायत बल्ह विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर				
1. निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण पार्क जी एम एस बल्ह ।				
निधि का नाम - मनरेगा ।				
स्वीकृत राशि - 300000/-				
कुल खर्च राशि - 208122/-				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	माप पुस्तिका में दर्शाई गई मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	रेत (घन मीटर)
MB-152 24, 68	1:4:8 1:5:10	40.95 7.98	0.47	22.99
कुल योग				22.99
बिल संख्या-202 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				34
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				11.01
क्रय दर				1248
अधिक भुगतान राशि				13740.48
कुल अधिक भुगतान				13740.00

2. निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण कार्य पूली ओड़ा नाला से ब्रहमदास के घर की ओर गाँव बल्ह ।				
निधि का नाम - मनरेगा				
स्वीकृत राशि - 300000/-				
कुल खर्च राशि - 294000/-				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	माप पुस्तिका में दर्शाई गई मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	रेत (घन मीटर)
MB-121 37, 88, 89	1:2:4 1:4:8	15.31 7.66	0.47	10.79
कुल योग				10.79
बिल संख्या-420 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				15.58
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				4.79
क्रय दर				1320
अधिक भुगतान राशि				6322.80
कुल योग				6323.00
कुल योग (1+2)				20063.00

25

Secretary
Gram Panchayat Balh
Dev. Block & Dist. Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट 7 पैरा संख्या 9.3 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	मनरेगा	निर्माण कार्य संपर्क मार्ग और डंगा, देश राज के घर से शमशान घाट तक	1700000
2	मनरेगा	निर्माण कार्य संपर्क मार्ग चमेल सिंह के घर से ओड़ा नाला तक	1700000
कुल योग			3400000

Secretary
Gram Panchayat Balh

